संख्या-44/2016/354/22-2-2016-17(03)/2007

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 3 मई, 2016**

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराण्सी में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी रामसूरत पुत्र श्री उमराव, निवासी जनपद- बहराइच वर्तमान श्रावस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4163/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/09-02-2016 दिनांक 12-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामसूरत पुत्र श्री उमराव, निवासी-मल्हीपुर, थाना-मल्हीपुर, जनपद- बहराइच वर्तमान जनपद श्रावस्ती का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 12.05.79 को अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बल्लम से 02 व्यक्तियों की हत्या का अपराध कारित किया गया है। बंदी को सत्र परीक्षण संख्या 355/1979 में भा0द0वि0 की धारा-147,302,307,149 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 प्रथमअपर सत्र न्यायाधीश बहराइच द्वारा दिनांक 24-09-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या-597/1980 योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30-10-2003 द्वारा अपील निरस्त कर दिया। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं तथा 02 सहअभियुक्त की मृत्यु हो गयी। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-6828एम0बी0/2015, दिनांक 13.01.2016 के अनुपालन में दयायाचिका के आधार पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर दिनांक 09.02.2016 को विचार किया गया। बन्दी की जेल रिपोर्ट के प्रारूप-ब में उसे मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ्य बताते बताया गया है। इस आधार पर वर्तमान में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की जाती है। समिति द्वारा यह भी विचार किया गया कि भविष्य में बन्दी की बीमारी के सम्बन्ध में कोई नया तथ्य आने पर समयपूर्व रिहाई पर विधि अनुसार पुनर्विचार किया जा सकेगा। समिति द्वारा बन्दी की कारित अपराध की गम्भीरता, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, द्वारा समयपूर्व रिहाई की सस्तुति न किये जाने एवं वर्तमान में काटी गयी सजा की अवधि के द्रष्टिगत सम्यक विचारोपरानत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रामसूरत, (बन्दी संख्या-44348) पुत्र श्री उमराव, निवासी जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-354/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in